


Notice

हरियाणा राज्य में स्थित सरकारी एवं स्वयंपोषित संस्थानों को सूचित किया जाता है कि डी. एलएड. काउंसिलिंग के उपरान्त ऑन लाइन ही अपने-अपने संस्थानों की स्टेटस रिपोर्ट अपडेट करनी है। इसके लिए पासवर्ड एवं कन्ट्रोल आई.डी. नम्बर पहले ही दी जा चुकी है और स्वयंपोषित संस्थानों द्वारा निम्न दस्तावेज जमा करवाने हैं -

- 1 निर्धारित फीस से अधिक फीस चार्ज न करने के संबंध में 10/- रुपये स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र।
- 2 स्टाफ स्टेटमेंट पर निर्धारित स्टाफ एप्रूवल की प्रति।

नोट : किसी भी स्वयंपोषित संस्थाना की फीस संबंधी शिकायत इस परिषद् में प्राप्त होने पर अधिक फीस मांगने/लेने की पुष्टि हो जाती है तो उस अवस्था में संस्थान को भविष्य में होने वाली डी.एलएड. काउंसिलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ़ की CWP No 6202/2011 के दिशा निर्देश अनुसार 25000/- रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।



निदेशक

रा.शै.अनु.एवं प्रशि.परिषद्
हरियाणा, गुड़गाँव

11/01/2019